भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 70**

(जिसका उत्तर सोमवार, 3 फ़रवरी, 2025/14माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

**"बीमा प्रीमियम पर जीएसटी"**

70. **श्री सु. वेंकटेशन:**
**श्री सचिदानन्दम आर.**
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीमा प्रीमियम के मुद्दे पर जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्री समूह की सिफारिशें क्या हैं, जो आम लोगों की सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालती हैं और बीमा की पहुंच आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं;
(ख) क्या पिछली बैठक में इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया गया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)**

**(क) से (ग):** दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 को जैसलमेर में आयोजित जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के दौरान, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर मंत्री समूह (जीओएम) के संयोजक ने जीओएम की सिफारिशों को अंतिम रूप देने और उन्हें जीएसटी परिषद के समक्ष रखने के लिए और समय मांगा है। परिषद ने जीओएम को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए और समय देने पर सहमति व्यक्त की है।

*****